

2020

अधिकारी, गुड़ामालानी (वाडमेर)  
अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

- प्रार्थीगण
1. लाडूराम पुत्र खेताराम
  2. मधू पत्नी लाडूराम

जाति विश्नोई साकिन वारूडी तहसील गुड़ामालानी जिला वाडमेर  
बनाम

विप्रार्थीगण

1. तहसीलदार गुड़ामालानी

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम**


-:: आदेश ::-

दिनांक :- 15/10/21

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत तरमीम दुरस्ती का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत ग्राम वारूडी पटवार क्षेत्र भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी में मूल खसरा संख्या 323 रकबा 27-00 बीघा किस्म बारानी दोयम का आया हुआ था जिसमें से रकबा 1-00 बीघा भूमि राजस्थान सरकार को स्कूल बनाने के लिये समर्पण की गई जिसके खसरा संख्या 332/2 हैं तथा 0-07 बीघा भूमि राजस्थान सरकार के पक्ष में समर्पण की गई जिसके खसरा नम्बर 323/2 हैं तथा प्रार्थीगण के पास शेष भूमि 25-13 बीघा रही जिसके खसरा संख्या 323/1 हैं।

प्रार्थीगण द्वारा 20 रोज पूर्व अपनी खातेदारी भूमि का नाप करवाया तो ज्ञात हुआ कि स्कूल का भवन व चारदीवारी जहां प्रार्थीगण द्वारा भूमि समर्पण की गई थी उस स्थान से हटकर बनी हुई है। मौके पर बनी स्कूल भवन व चारदीवारी की तरमीम व स्कूल भवन हेतु समर्पण की भूमि की तरमीम में भिन्नता है। इसलिये तरमीम दुस्ती हेतु उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में लाना आवश्यक होने से पेश किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपनी रिपोर्ट कमांक 126 दिनांक 22.01.2021 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम वारूडी के खेत खसरा नम्बर 323/1 रकबा 27-00 बीघा के खातेदार द्वारा 1-00 बीघा भूमि का राजस्थान सरकार के पक्ष में समर्पण किया गया। वक्त समर्पण भूमि जिसका नामान्तरण संख्या 447 द्वारा खसरा नम्बर 323/2 रकबा 1-00 बीघा रेकर्ड में कायम हुआ, जिसकी तरमीम लट्ठा ट्रेस में समर्पण आदेश के संलग्न नक्शा में

  
(प्रमोद कुमार)


उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी  
जिला प्रभारी

प्रशासन शांति के संग अभियान 2021  
गुड़ामालानी/आडोल


प्रस्तावित स्थान पर ही की गई है, परन्तु वर्तमान में विद्यालय भवन व चारदीवारी समर्पण भूमि से मौके पर हटकर संलग्न नक्शे में दर्शित बरंग हरे स्थान पर बनी हुई है। मौके पर विद्यालय भवन व चारदीवारी का निर्माण होने से खसरा नम्बर 323/2 रकबा 1-00 बीघा की तरमीम मौका कब्जा अनुसार नक्शे में दर्शित बरंग हरे से दर्शित स्थान पर शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है।

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान-2021 केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय सिंधासवा चौहान (अजा का फांटा) पेश हुई। भूमिधारक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पुनः अपनी रिपोर्ट क्रमांक 02 दिनांक 14.10.2021 प्रस्तुत कर पूर्व में प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक 126 दिनांक 22.01.2021 सही होना व उसी अनुसार तरमीम दुरुस्ती किये जाने की अनुशंसा की गई।

हमने मजमेआज जानकारी ली तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं विप्रार्थी भूमिधारक तहसीलदार गुडामालानी की रिपोर्ट का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। चूंकि तहसीलदार गुडामालानी ने अपनी रिपोर्ट में मौके पर बने विद्यालय भवन व चारदीवारी एवं वर्तमान तरमीम में भिन्नता होने पर तरमीम दुरुस्ती की अनुशंसा की है तथा प्रार्थीगण के अधिवक्ता, तहसीलदार गुडामालानी की रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरुस्त कराने हेतु सहमत हैं। चूंकि प्रस्तावित तरमीम अनुसार विद्यालय का निर्माण भी हो चुका है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माफिक तहसीलदार की रिपोर्ट क्रमांक: भू0अ0/2021/126 दिनांक 22.01.2021 के संलग्न मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार ग्राम बारूडी के मूल खसरा नम्बर 323 में विद्यालय के लिये समर्पित खसरा नम्बर 323/ रकबा 1-00 बीघा की तरमीम दुरुस्त करने तथा इसी अनुसार रेकर्ड दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुडामालानी की उक्त मौका रिपोर्ट भू0अ0/2021/126 दिनांक 22.01.2021 निर्णय का अभिन्न रहेगा। तहसीलदार गुडामालानी आदेशों की पालना कर पालना रिपोर्ट एक माह में पेश करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करें। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

  
( प्रमोद कुमार )  
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी  
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

आदेश आज दिनांक 14.10.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान ग्राम पंचायत मुख्यालय सिंधासवा चौहान (अजा का फांटा) में खुले न्यायालय मजमेआम सुनाया गया।

  
( प्रमोद कुमार )  
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी  
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021  
पंचायत समिति गुडामालानी/आदेश